(34)

संख्याः- 2253 / II-2010-04(39)/04

प्रेषक,

आर०सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग | देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषयः निर्माणाधीन 39 ए०आई०बी०पी० योजनाओं के लिए स्वीकृत केन्द्रांश एवं योजनाओं के लिए राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या-2783/मुअवि/बजट/बी-1 सामान्य दिनांक 23.07.2010 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ-कार्यक्रम के अन्तर्गत 39 योजनाओ लागत रू0 8155.93 लाख के लिए भारत सरकार के पत्रसंख्या 10-18/2008-MI दिनांक 19.07.2010 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश रू0 3120.77 लाख तथा राज्यांश रू0 815.59 लाख के सापेक्ष शेष राज्यांश रू0 204.28 लाख कुल रू0 3325.05 लाख (रू0 तैंतीस करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय करने हेतु उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	योजनाये	लागत	लागत के सापेक्ष केन्द्रांश की आवश्यकता	लागत के सापेक्ष राज्यांश की आवश्यकता	स्वीकृत केन्द्रांश	स्वीकृत राज्यांश	अवमुक्त केन्द्रांश	स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित		अवमुक्त की जा रही धनराशि का योग
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	39 सं0	8155.93	7340.34	815.59	6993.57	611.31	3872.80	3120.77	3120.77	204.28	3325.05
कुल योग		8155.93	7340.34	815.59	6993.57	611.31	3872.80	3120.77	3120.77	204.28	3325.05

1. धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
2. योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
3. अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करे।
4. अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।
5. कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।
6. आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।
9. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.........2

10. कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
11. योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।
12. इस मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 05–सिंचाई विभाग की नई योजनायें, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0195–ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (90% केन्द्रीय सहायता), 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–315/XXVII(2)/2010 दिनांक–18.08.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:2253/ I I–2010–04(39)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त अनु–2, /नियोजन अनुभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।